दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन सी - ब्लॉक शिवालिक मालवीय नगर नई दिल्ली-110017

प्रेस नोट - 31 अगस्त 2017

दिल्ली में बिजली उत्पादन कंपनियां - इन्द्रप्रस्थ पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल), पारेषण लाइसेंसधारी - दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) और बिजली वितरण यूटिलिटीज - टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीईपीएल) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने वार्षिक राजस्व आवश्यकता की सही स्थिति के लिए (एआरआर) वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2017-18 के टैरिफ निर्धारण के लिए अपनी याचिकाओं को दायर किया था। याचिकाओं के एडमिशन के बाद, याचिकाओं की कार्यकारी सारांश तैयार किए गए और सभी हितधारकों को सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उनकी याचिकाओं के साथ अपलोड किया गया। इसके साथ ही, सभी हितधारकों से विभिन्न टैरिफ मुद्दों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं, जिसके लिए आयोग द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। आयोग ने हितधारकों से प्राप्त सुझाव/सूचनाओं पर विचार करने के लिए "सार्वजनिक सुनवाई" आयोजित की, जिससे सभी हितधारकों को टैरिफ निर्धारण से संबंधित मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिला।

आयोग ने यूटिलिटीज द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का व्यवस्थित विश्लेषण करने और हितधारकों से सुझाव/इनपुट पर विचार करने के बाद, वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए एआरआर ट्रू अप किया है।

वितरण लाइसेंसधारियों पर विनियम/निर्देशों जैसेकि नवीकरणीय ऊर्जा खरीद का दायित्व, रु 4000/- से अधिक का नकद जमा, एटी एंड सी हानि लक्ष्य आदि की गैर उपलब्धि का अनुपालन न करने के लिए दंड लगाया गया है।

वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के ट्रू अप आधार पर राजस्व अंतर का परिसमापन देखा गया है, जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

Table 1: Revenue Surplus/(Gap) at end of FY 2015-16 (Rs. Cr.)

Sr. No.	Revenue Surplus/(Gap)	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
1	Opening Gap for FY 2014-15 as per Tariff Order dtd. 29/09/2015	(5,105)	(3,051)	(3,351)	45	(11,463)
2	Revenue /(Gap) Surplus for FY 2014-15	(16)	(39)	157	(166)	(64)
3	Revenue /(Gap) Surplus for FY 2015-16	1,223	861	843	31	2,957

Sr. No.	Revenue Surplus/(Gap)	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
4	Total Liquidation during FY 2014-15 & FY 2015-16	1,206	821	1,001	(136)	2,893
5	Impact of Hon'ble APTEL Judgments	(334)	(432)	103	-	869
6	Closing Revenue Gap with impact of Hon'ble APTEL Judgement	(4,233)	(2,662)	(2,454	(91)	(9,440)

आयोग ने बिलिंग और मीटरिंग ऑडिट का आयोजन पूरा किया है और वितरण लाइसेंसधारियों के तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसानों के स्वतंत्र मूल्यांकन के एनर्जी ऑडिट के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

आयोग ने डिस्काम्स की 100% संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है।

डीईआरसी टैरिफ विनियम, 2017 और डीईआरसी व्यवसाय योजना विनियमावली, 2017 में निर्दिष्ट मानक के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का अनुमान लगाया गया है। अनियंत्रित मापदंड जैसे, ईंधन लागत, बिजली खरीद और बिक्री वास्तविक उपलब्ध जानकारी के पिछले रुझानों पर आधारित हैं।

आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के अनुमोदित एआरआर और वित्त वर्ष 2017-18 के राजस्व अधिशेष / (अंतर) निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

Table 2: Summary of Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2017-18 (Rs. Cr.)

Sr. No.	Particulars	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
A	ARR as claimed by Petitioner	9,052	4,892	7,680	1,148	22,772
B	ARR as approved by Commission	8,414	4,441	6,449	1,031	20,336
C	Revenue at existing Tariff	8,374	4,483	6,591	946	20,394
D	Revenue Surplus/(Gap) at existing Tariff	(40)	42	142	(86)	58
E	Revenue at Revised Tariff	8,457	4,525	6,648	1,038	20,667
F	Revenue Surplus/(Gap) at Revised Tariff	43	83	198	7	331

चूंकि बीआरपीएल और एनडीएमसी में राजस्व घाटा है अतः आयोग ने वितरण लाइसेंसधारी के द्वारा व्यय किये गए निश्चित लागत और परिवर्तनीय मूल्य के आधार टैरिफ के माध्यम से पुनर्प्राप्त निर्धारित शुल्क और ऊर्जा शुल्क को वित्त वर्ष 2017-18 के टैरिफ को लिए तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए टैरिफ अनुसूची की मुख्य विशेषताएं

1. ऊर्जा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2. निर्धारित शुल्क कार्यप्रणाली घरेलू श्रेणी के लिए संशोधित किया गया है upto 5 kW from Rs./month basis to Rs. /kW/month basis.
3. उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट तक की स्वीकृत लोड के लिए निर्धारित शुल्क 50% घटा दिया गया है। Rs. 40/month to Rs. 20/month.
4. घरेलू टैरिफ श्रेणी को छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चलाने वाले उपभोक्ताओं तक बढ़ाया गया है, जिनके घरो का 5 किलोवाट तक का स्वीकृत लोड है, जोकि पहले सिर्फ जे जे क्लस्टर 400 यूनिट/माह तक प्रीतिबंदित थी ।
5. प्रदूषण मुक्त परिवहन और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, ई-रिक्शा / ई- वाहन के चार्जिंग स्टेशन की अलग-अलग टैरिफ श्रेणी बनाई गई है, Tariff at flat rate of RS. 5.50/kWh.
6. कृषि श्रेणी के लिए स्वीकृत लोड की सीमा 10 किलोवॅट से बढ़ाकर 20 किलोवाट हो गई है।
7. गोशाला और GoNCTD की किसी भी योजना के तहत पंजीकृत अतिथि आवास का भुगतान घरेलू श्रेणी के तहत कवर किया गया है।
8. आयोग ने मौजूदा टीओडी समय स्लॉट्स, अधिभार और छूट को बनाए रखा है।
9. सिविल अपील क्रमांक 884/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयोग द्वारा जमा राजस्व अंतर की मूल राशि के क्रमिक परिसमापन के लिए डिस्काम्स (बीआरपीएल, बीपीपीएल और टीपीडीडीएल) के उपभोक्ताओं पर 8% अतिरिक्त अधिभार की लेवी में कोई बदलाव नहीं है।
10. आयोग ने डिस्काम्स के काउंटर पर रुपये 4000 / - तक नकद जमा के मौजूदा सीमा को बरकरार रखा है।
11. आयोग ने उपभोक्ताओं द्वारा रुपये 50000 / - तक की नकदी में बिजली बिलों के भुगतान की अनुमति नामित अनुसूची वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में दी है।
12. पेंशन ट्रस्ट की ओर रुपये 694 करोड़ के वित्तपोषण की राशि, जिसकी GoNCTD द्वारा सिफारिश की गई थी, आंशिक रूप से अधिभार की वसूली के माध्यम से @ 3.70% डिस्काम्स (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल) राशि का भुगतान सीधे पेंशन ट्रस्ट के खाते में जमा किया जाएगा।
13. टैरिफ अनुसूची 01/09/2017 से प्रभावी होने पर लागू होगा।

GENERATION COMPANIES AND TRANSMISSION LICENSEE

Summary of ARR for FY 2017-18 (Rs. Cr)

Sr. No.	Particulars	Claimed	Approved
A	Gas Turbine Power Stations (GTPS)	221	127
B	Pragati Power Station I (PPS-I)	184	148
C	Delhi TRANSCO Ltd. (DTL)	1416	1084